


झबर सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह
अपील अर्न्तगत अर्न्तगत धारा 223 आरटीए
मुकदमा नंबर 18/2018
जीसीएमएस नंबर 2018/00092

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तारीख में जारी हुकम
13-11-25	<p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण वर्ष 2018 से नोटिस तामील के अभाव में लम्बित चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली शामिल मिसल है। शेष रेस्पोंडेंट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील हेतु कई बार लिखा जा चुका है। आदेशिका दिनांक 08-07-2025 को रजिस्टर्ड हेतु लिखा जा चुका है। पूर्व आदेशिका दिनांक 09-09-2025 को वास्ते रजिस्टर्ड नोटिस पेश व जारी एवं रशीदे पेश करने हेतु अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है। दिनांक 24-09-2025 को अभिभाषक अपीलांट ने न्यायालय में उपस्थित आकर वास्ते रजिस्टर्ड समन पेश एवं रशीदे पेश एक और अवसर देने को निवेदन किया तथा आगामी तारीख पेशी से पूर्व उक्त आदेशिकाओं की पालना हेतु समय चाहा न्यायालय द्वारा नरम रूख अपनाकर न्यायहित में अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली में आगामी दिनांक 13-11-2025 नियत की गई। बाद इसके भी आदिनांक तक किसी भी आदेशिका की पालना अमल में नहीं लाई गई है इससे यह प्रतीत होता है कि अभिभाषक अपीलांट जैरकार प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। उक्त प्रकरण में आज तारीख पेशी पर भी अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक स्वयं को रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगवाई गई लेकिन उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट स्वयं न्यायालय में हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center;">(उम्मेद सिंह रतनू) राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर</p>	

